

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....  
बायतु

..... बनाम .....  
नारायण डिबाना कौर

किस्म मुकदमा..... सा.प. 2/11/18 नं..... 11/18 सन्..... 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/18  05/02/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>विठ्ठलराम सिधवा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... <u>111, 128</u>.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>05/2/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सहायक कलक्टर (SDO)</u> <u>बायतु</u></p> <p>प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्रार्थी/गिणो के नोटिस तामील सुझा प्राप्त जिसे तामील पत्रावली किया गया। विप्रार्थी/गिणो का बजुड तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिपन्ना की एकपक्षीय वादत सुनी गई प्रार्थी के अधिपन्ना ने बताया की प्रार्थी के अपने व्यावसायी घेतो के चाले कर पन्डे नैयम ल्याहित करना कावशुत हो बसलिए प्रार्थी का नैयमवन्ती कोवेडन स्वीकार किया जाकर नैयमवन्ती कोवेडन किया जावे।</p> <p>कतः प्रार्थी का नैयमवन्ती कोवेडन स्वीकार किया जाकर लक्ष्मीलदार गिणो के अधिपन्ना निरुक्त किया जाता है व कोवेडन किया जाता है कि प्रार्थी स्वयं या अपने अधिपन्ना किसी भी नू क्रिमिनेयल निरिपन्ना के प्रार्थी के व्यावसायी घेतो की पन्नी नैयमवन्ती कोवेडन पर सुलु जगदराडर डरे पालना रिपोर्ट उपलब्ध होने पर तामिल पत्रावली की पत्रावली तामिल सुधार हो, दर्ज नम्बर के डम हो, इतिपत्त डकलर हो।</p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 31  
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:- 5/2/2018

1. नेनाराम पुत्र चुनाराम जाति  
ढाढी निवासी गिड़ा तह. गिड़ा  
जिला बाड़मेर

1. किशना पुत्र जोधा वगैरा 9 निवासी गिड़ा  
तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 14/18


आदेश


मौजा गिड़ा पटवार हल्का गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 351/99 रकबा 54.01 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2018 / 32 to 36  
वायप्रीतिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री नेनाराम पुत्र चुनाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री किशना पुत्र जोधा वगैरा 9।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

  
(हिताराम चौहान) कर्त (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी-बायतु  
दिनांक:- 5/2/18

  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कर्त (SDO)  
बायतु